E-mail : rajassembly@nic.in फैक्स:0141-2744333-2744334
website:rajassembly.nic.in दूरभाष नं0141-2744301-320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

जयपुर

राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने का कार्य

बिड प्रपत्र

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	बिड प्रतिभूति
1. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) का मुद्रण कार्य	रूपये 5.50 लाख	11,000/- रूपये
2. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की दूरभाष निर्देशिका का मुद्रण कार्य	0.75 लाख	1,500/- रूपये
बिड प्रपत्र शुल्क	500/- रूपये	
बिड प्रपत्र बेचने की अंतिम दिनांक व समय	07.11.2017 सायं 1.00 बजे तक	
बिड जमा कराने की अंतिम दिनांक व समय	07.11.2017 सायं 4.00 बजे तक	
बिड खोलने की दिनांक व समय	08.11.2017 सायं 3.00 बजे	

E-mail : rajassembly@nic.in फैक्स:0141-2744333-2744334
website:rajassembly.nic.in दूरभाष नं0141-2744301-320

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

क्रमांक: एफ13(125)स.अ/विस/डायरी-2017-18 /39465 जयपुर, दिनांक: 23 अक्टूबर, 2017

बिड सूचना

राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने हेतु सीलबन्द बिड्स निर्धारित प्रपत्र में आमन्त्रित की जाती हैं :-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू)	बिड प्रतिभूति (रू)	बिड प्रपत्र शुल्क (रू)	बिड प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक	बिड जमा कराने की अंतिम दिनांक	बिड खोलने की दिनांक
1. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) (साइज 7.25 इंच x 9.5 इंच) का मुद्रण कार्य (मात्रा लगभग 3500 प्रतियॉ)	5.50 लाख	11,000/-	500/-	07.11.2017 सायं 1.00 बजे तक	07.11.2017 सायं 4.00 बजे तक	08.11.2017 सायं 3.00 बजे
2. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की दूरभाष निर्देशिका (साइज 3.5 इंच x 6.25 इंच) (मात्रा लगभग 7000 प्रतियॉ)	0.75 लाख	1500/-				

1. बिड प्रपत्र राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कक्ष संख्या 739 से दिनांक 07.11.2017 सायं 1.00 बजे तक कार्यालय समय में निर्धारित शुल्क रूपये 500/- जमा करा कर प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस सचिवालय की वेबसाइट www.rajassembly.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। वेबसाइट से डाउनलोड किये गए बिड प्रपत्र का शुल्क बिड के साथ सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय डी.डी./बैंकर्स चैक द्वारा जमा कराना आवश्यक है।

2. बोली प्रतिभूति के लिए बिड के साथ वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) के मुद्रण कार्य हेतु प्रस्तुत बिड के लिए राशि 11,000/- रूपये का एवं दूरभाष निर्देशिका मुद्रण कार्य हेतु प्रस्तुत बिड के लिए 1,500/- रूपये का डी.डी./बैकर्स चैक, जो सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के नाम देय हो, जमा कराना आवश्यक है। बोली प्रतिभूति के बिना जमा कराई गई बिड्स पर विचार नहीं किया जाएगा।

3 भरी हुई बिड्स दिनांक 07.11.2017 सायं 4.00 बजे तक राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कक्ष संख्या 703 अथवा 706 में जमा कराई जा सकती हैं। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त बिड्स पर विचार नहीं किया जाएगा।

4 निर्धारित समय तक प्राप्त बिड्स को दिनांक 08.11.2017 सायं 3.00 बजे क्रय समिति के द्वारा राजस्थान विधान सभा सचिवालय के कक्ष संख्या 110 में उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जाएगा।

5 कार्य का पूर्ण विवरण बिड दस्तावेजों में अंकित है, जिसकी जानकारी इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

6 बोलीदाता द्वारा वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) एवं दूरभाष निर्देशिका के नमूने की प्रति राजस्थान विधान सभा सचिवालय की अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा (कक्ष संख्या 703 एवं 706) में देखी जा सकती है।

7. किसी भी बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

(गिरिराज बाँगड़)
उप सचिव (प्रशासन)

बोली प्रपत्र

राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने के कार्य

1- बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता ....

2- बोली जिसको प्रस्तुत करनी है :-उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

3- संदर्भ बोली सूचना:- क्रमांक: एफ13(125)स.अ/विस/डायरी-2017-18/39465 दिनांक:23/10/2017

4- बोली शुल्क रू 500/- नकद, रसीद सं0/डीड़ी संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा संलग्न है।

5- बिड प्रतिभूति राशि जमा का विवरण: रूपये .....बैंकर्स चैक/डी.डी. नम्बर ..... दिनांक ..... बैंक का नाम ..... का संलग्न है।

6- इस बिड के संबंध में बिड प्रपत्र एवं समस्त शर्तें मेरे/हमारे द्वारा अच्छी तरह से पढ़ एवं समझ ली गई हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप शर्त प्रपत्र एवं बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। मैं/हम उन समस्त शर्तों की पालना करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।

7- मैं/हम ऐसे करों को संदत्त करने की, जो बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, अपनी बाध्यता की पूर्ति करुँगा/करेंगे।

8- मैं/हम दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हुआ हूँ/हुए हैं या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/रहे हैं, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखूँगा/रखेंगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखूँगा/रखेंगे और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होंगे ।

9- मैं/हम अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किए जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न हमारे निदेशक और अधिकारी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं।

10- मैं/हम ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, मेरे/हमारे रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किया गया है, के प्रति कोई विरोध नहीं रखूँगा/रखेंगे, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रुप से प्रभावित करे।

11- हम बोली सूचना तथा संलग्न बिड की संलग्न शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं एवं इनके सभी पृष्ठों पर प्रमाणस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

12- हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हम ऑफसैट पर विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों के मुद्रण का कार्य कई वर्षो से कर रहे हैं तथा हमारे यहॉ डायरियॉ तैयार करने हेतु सभी आवश्यक मशीनें एवं साधन सामग्री उपलब्ध है।

13- राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने के कार्य हेतु प्रस्तावित दर (सभी करों सहित) **परिशिष्ट "क"** में वर्णित है।

14- उद्घृत की गई दरें 90 दिवस के लिये विधिमान्य हैं। इस अवधि एवं मात्रा को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

15- जीएसटी पंजीकरण/टिन संख्या …….. (पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

16- गत वर्ष के वेट शोधन प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि ……. (शोधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

17- आयकर स्थायी खाता संख्या ……..(पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न है)।

18- मैं/हम बोली में दिये गए आपूर्ति/कार्य की संलग्न शर्तें पढ़ने के उपरान्त आदेश प्राप्ति के अनुसार आपूर्ति/कार्य करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

बिड प्रपत्र व बिड की शर्तें

राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने का कार्य

नोट :- 1 बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोलियां भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

2 बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व बोलीदाताओं को राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 का आवश्यक रूप से सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए।

3 बोली की शर्तों एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में विरोधाभास पाये जाने पर अधिनियम व नियमों दिये गए प्रावधान ही प्रभावी माने जायेंगे।

4 राजस्थान सरकार के सा.वि. एवं लेखा नियम एवं बिड के विषय से सम्बन्धित अन्य समस्त नियम एवं एक्ट भी लागू माने जायेंगे।

1- बोलीदाता बिड को उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करें।

2- बिड बंद लिफाफे में 'वार्षिक डायरी एवं दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण हेतु बिड' लिफाफे पर अंकित कर दिनांक 07.11.2017 अपराह्न 4.00 बजे तक इस सचिवालय के कक्ष 703 अथवा 706 में जमा/प्रस्तुत की जा सकेगी। प्राप्त बोलियाँ दिनांक 08.11.2017 क़ो अपराह्न 3.00 बजे क्रय समिति के समक्ष कक्ष संख्या 110 में खोली जायेंगी। यदि कोई बोलीदाता या उसका प्रतिनिधि बिड खोलने के समय उपस्थित होना चाहे तो उपस्थित हो सकता है।

3- कार्य का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा
1	राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) (साइज 7.25 इंच x 9.5 इंच) का मुद्रण कार्य	3500 प्रतियाँ
2	राजस्थान विधान सभा सचिवालय की दूरभाष निर्देशिका (साइज 3.5 इंच x 6.25 इंच)	5000 प्रतियाँ

4- बोलीदाता को निम्न विवरण के अनुसार 'वार्षिक डायरी'/'दूरभाष निर्देशिका' तैयार कर प्रदाय करनी होंगी-

वार्षिक डायरी का विवरण

डायरी का साइज 7.25 इंच x 9.5 इंच होगा। डायरी पर उच्च स्तरीय मैट रैक्जीन फोम का दो कलर में कवर होगा। कवर का रंग तथा डिजाइन नमूना डायरी के अनुसार होना आवश्यक है जिस पर राजस्थान विधान सभा का नाम, छाया चित्र तथा 'दैनन्दिनी वर्ष 2018 एम्बोस प्रिन्टिंग से मुद्रित होगा। कवर के अन्दर की ओर तीन पॉकेट होंगी। डायरी के कवर की चारों तरफ से सिलाई होगी तथा अन्दर के पॉकेट पर भी सिलाई होगी। डायरी में प्रत्येक तिथि के लिए आधा पृष्ठ होगा (प्रत्येक पेज पर दो तिथियाँ होंगी)। डायरी के प्रारम्भ में लगभग 80 पृष्ठ उच्च स्तरीय बढ़िया नेचुरल टैक्सचर्स क्रीम कलर (इम्पोर्टेड 80 GSM) पेपर पर इस सचिवालय द्वारा दी गई सूचना सामग्री का मुद्रण पी.एस. प्लेट/सी.टी.पी. से ऑफसेट पर होगा। डायरी के भीतरी पृष्ठ का पेपर टेक्सचर्स नेचुरल क्रीम कलर (80 GSM) के होंगे। डायरी के पृष्ठ दो कलर में मुद्रित होंगे। प्रत्येक माह से पूर्व प्लानर भी दिया जाएगा। डायरी में बुकमार्क हेतु रेशमी डोरी भी लगाई जाएगी। जैकेट के दोनों तरफ भीतरी साइड में भारत तथा राजस्थान का रंगीन मानचित्र भी प्रकाशित होगा। सूचना सामग्री से पूर्व दस (10) पृष्ठों पर केबिनेट साइज के दस छाया चित्र नेचुरल टेक्सचर्स क्रीम कलर (170 GSM) पर पेज के एक ओर चार कलर में ऑफसेट से मुद्रित होंगे। डायरी के पृष्ठों की संख्या 4 गुणांक में कम या अधिक हो सकती है। डायरी के अंत में 8 पृष्ठ नोट्स के लिए होंगे। लगभग 1000 डायरियों के कवर पर इस सचिवालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार नाम भी मुद्रित कराने होंगे। मुद्रित करवाई जाने वाली डायरियों की संख्या 3500 से कम या अधिक हो सकती है। डायरियाँ तैयार कर अधिकतम 15 दिवस में प्रदाय करनी होंगी। नमूने की डायरी विधान सभा सचिवालय में कक्ष संख्या 706 में देखी जा सकती है।

दूरभाष निर्देशिका का विवरण

दूरभाष निर्देशिका का आकार 3.5 इंच x 6.25 वर्ग इंच का होगा। इसका कवर मोटे कागज का होगा। इसके अतिरिक्त एक रैक्जीन का कवर भी होगा जिस पर 'राजस्थान विधान सभा, जयपुर' तथा 'दूरभाष निर्देशिका' लिखा होगा, साथ ही विधान सभा भवन का रेखाचित्र अथवा अन्य चित्र भी मुद्रित होगा। निर्देशिका के लगभग 120 पृष्ठ होंगे जिन पर ऑफसैट (पी.एस.प्लेट/सी.टी.पी. द्वारा) मुद्रित होने वाली सूचनायें, जो कि सफेद मैपलिथो कागज (70 जी.एस.एम) पर मुद्रित होंगी, इस सचिवालय द्वारा विशुद्ध रूप में उपलब्ध करायी जायेंगी। इन सूचनाओं को प्राप्त कर दस दिवस में आदेशित दूरभाष निर्देशिकाएँ मुद्रित कर प्रदाय करनी होगी। निर्देशिका के पृष्ठों की संख्या 8 पृष्ठों के गुणांक में कम या अधिक हो सकती है।

5- बोलीदाता द्वारा वार्षिक डायरी एवं दूरभाष निर्देशिका के नमूने की प्रति इस सचिवालय की अन्वेषण एवं संदर्भ शाखा (कक्ष संख्या 703 व 706) में देखी जा सकती है।

6- नमूने की डायरी कवर सहित एवं सूचना सामग्री मुद्रित किये जाने वाले कागज (इम्पोर्टेड पेपर) का नमूना एवं उच्च स्तरीय रैगजीन (कवर हेतु) का नमूना बिड के

साथ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना होगा। इनके अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

7- दूरभाष निर्देशिका की 5000 प्रतियाँ मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित हैं। यह संख्या कम अथवा अधिक भी हो सकती है जिन्हें आवश्यकतानुसार 2-3 बार में मुद्रित करवाया जायेगा। प्रत्येक नवीन मुद्रण आदेश के साथ संशोधित सूचना सामग्री उपलब्ध करवाई जायेगी तथा आदेशित प्रतियों की संख्या यथासंभव 1000 के गुणांक में होगी।

8- वार्षिक डायरी के अन्दर दस पृष्ठों पर मुद्रित किये जाने वाले रंगीन चित्र यह सचिवालय उपलब्ध करायेगा। कार्य पूर्ण होने पर फर्म द्वारा चित्रादि बिल के साथ इस सचिवालय को लौटाये जायेंगे।

9- अनुमोदित बोलीदाता को कार्य आदेश के साथ ही डायरी में प्रकाशित की जाने वाली सूचना सामग्री का कम्पोज किया हुआ विशुद्ध लेजर प्रिंट अथवा पेन ड्राइव/सीडी/डीवीडी में इस सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा। बोलीदाता को 15 व 10 दिन की अवधि में क्रमश: आदेशित डायरियॉ एवं दूरभाष निर्देशिकाएं पूर्ण रूप से तैयार कर विधान सभा सचिवालय को अपने खर्चे पर प्रदाय करनी होंगी। यदि प्रदायक मुद्रण हेतु प्रकाशन सामग्री का प्रिन्ट टैक्नोशीट या अन्य स्वरूप में चाहेगा तो टेक्नोशीट या अन्य हार्डवेयर प्रदायक द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध करवानी होगी।

1. <u>बोली प्रतिभूति (बिड सिक्योरिटी)</u> :-

(क) बोलीदाता को बोली के साथ बोली सूचना के अनुसार बिड प्रतिभूति संलग्न करनी अनिवार्य होगी। इसके बिना बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर के पक्ष में बी.सी./डी.डी. या अनुसूचित बैंक के विनिर्दिष्ट रूपविधान में बैंक गारंटी या सरकारी विभागों की दशा में ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा के रूप में दी जा सकेगी। बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गई विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए। अन्य प्रकार से प्रस्तुत बोली प्रतिभूति स्वीकार्य नहीं होगी। बोली प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की संबधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर बोली प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।

(ख) **<u>बोली प्रतिभूति का प्रतिदायः</u>**- असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

(ग) **<u>बोली प्रतिभूति से छूटः-</u>** बोली प्रतिभूति बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषयवस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। **राजस्थान के लघु उद्योगों** की

दशा में, उन फर्मों को, जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान में पंजीकृत हैं, उन मदों के संबंध में, जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण- पत्र या उसकी फोटो स्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, बोली आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए बोली के अनुमानित मूल्य के 0.5 (आधा) प्रतिशत की दर पर बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड (BFIR) के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का एक प्रतिशत होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। बोली प्रतिभूति के स्थान पर, **बोली प्रतिभूति घोषणा** राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों को प्रस्तुत करनी होगी।

(ड.) **<u>बोली प्रतिभूति का समपहरण:-</u>** बोली प्रतिभूति को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा:-

a. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है;
b. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है;
c. जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है;
d. जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है;
e. यदि बोली लगाने वाला राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है;

(च) सफल बोली लगाने वाली की दशा में बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकेगी या लौटा दी जायेगी, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

12. **<u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति :</u>**

1. सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिये जाने के 7 दिन की अवधि के भीतर , जिन माल या सेवाओं के लिए बोली स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के पांच प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2. राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व का नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे। तथापि, इनको एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
3. राजस्थान के लघु उद्योगों के मामले में माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाप की रकम की एक प्रतिशत और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगों, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रदाय आदेश की रकम का दो प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट प्राप्त करने के लिए इन फर्मों को पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
4. बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जा सकेगा।
5. प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में प्रस्तुत की जायेगी:-
    a. ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा;
    b. किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक;
    c. राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्पबचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखत, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।
    d. किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित कराई जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत बैंक गांरटी की संबधित जारी करने वाले बैंक से पुष्टि कराई जायेगी। तथापि, प्रस्तावित निर्गामी या किसी प्रस्तावित पुष्टि करने वाले की स्वीकार्यता की पुष्टि इस आधार पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को अस्वीकार करने से उपापन संस्था को अपवर्जित नहीं करती है कि निर्गामी या, यथास्थिति, पुष्टि करने वाला दिवालिया हो गया है या अन्यथा उधान के लिए पात्र नहीं रह गया है।
    e. किसी अनुसूचित बैंक की नियम जमा रसीद(FDR)। यह बोली लगाने वाले के खाते उपापन संस्था के नाम होगी बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियम जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी की बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को सम्बन्धित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा

रसीद का मांग पर संदाय/समय पूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

f. ई.जी.आर.ए.एस. से इतर प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति, वांरटी बाध्यताओं और रख-रखाव और दोषदायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदागत बाध्यताओं को पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहनी चाहिए।

7. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि संवेदक के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा। राजस्थान विधान सभा सचिवालय को यह अधिकार होगा कि उक्त राशि में से संवेदक की कोई बकाया राशि या पैनल्टी बकाया होगी तो भुगतान के समय काट ली जायेगी ।

8. **<u>कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण</u>**: कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा:-

   a. जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

   b. जब बोलीदाता सम्पूर्ण माल/सेवा सन्तोषजनक ढंग से प्रदाय करने में असफल रहा हो।

   c. कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता प्राधिकार/अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

9. करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग द्वारा उस करार-पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपडत बोलीदाता को निःशुल्क दी जाएगी।

13. <u>करार (Agreement) का निष्पादन :-</u>

(अ) सफल बोलीदाता को उसकी बोली स्वीकृत होने की सूचना दिए जाने के सात दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार विनिर्दिष्ट मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प (नॉड ज्यूडिशियल स्टाम्प) पर करार निष्पादित करना होगा।

(आ) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प शुल्क का व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा सचिवालय द्वारा उस करार पत्र की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त(छाया प्रति) बोलीदाता को नि:शुल्क दी जायेगी ।

(इ) यदि बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि (7 दिवस) में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो राजस्थान विधान सभा सचिवालय सफल बोलीदाता के विरूद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 के उपबन्धों के

अनुसार कार्यवाही करेगा। सचिवालय, ऐसे मामलों में उपापन प्रक्रिया रद्द कर सकेगा या न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली वाले को स्वीकृति प्रस्ताव दे सकेगा।

12 **भुगतान:-**

(1) अनुमोदित बोलीदाता प्रदाय की गई वार्षिक डायरी/दूरभाष निर्देशिका के मुद्रण के भुगतान हेतु अनुमादित दरों के अनुसार बिल चार प्रतियों में प्रस्तुत करेगा तथा भुगतान हेतु NEFT स्वरूप में वांछित सभी सूचनाएं भी संलग्न करेगा। यदि डायरी अथवा पॉकेट डायरी के जैकेट्स में परिवर्तन किया जाता है, तो आपसी विचार-विमर्श के पश्चात् दरों पर सहमति की जायेगी।

(2) अनुमोदित बोलीदाता की ओर से यदि मुद्रण कार्य में त्रुटि रहती है तथा डायरियां/दूरभाष निर्देशिका निर्धारित सैम्पल के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं, तो सचिव, राजस्थान विधान सभा को अधिकार होगा कि समस्त सामग्री को रद्द कर दे अथवा 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक शास्ति काटते हुये भुगतान करें।

(3) <u>परिनिर्धारित क्षति</u>:- परिनिर्धारित क्षति के साथ कार्य पूर्ण करने की अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन कार्यों के मूल्यों के लिए की जाएगी, जिनको अनुबंधकर्ता पूर्ण करने में असफल रहा है :-

(1)

(क)	विहित कार्य पूर्ण करने की अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 प्रतिशत
(ख)	एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5 प्रतिशत
(ग)	आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7.5 प्रतिशत
(घ)	विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के	10 प्रतिशत

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(4) यदि अनुबंधकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत् कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा, न कि कार्यावधि पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि कार्य पूर्ण करने में उत्पन्न हुई बाधा अनुबंधकर्ता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो कार्य पूर्ण करने की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति रहित भी की जा सकेगी।

(6) मुद्रक जो डायरियां/दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कर सुपुर्दगी देगा उसका परिक्षण अनुमोदित सैम्पल से किया जायेगा तथा जो डायरियॉ/दूरभाष निर्देशिका सैम्पल के अनुसार निर्धारित मापदण्डों पर नहीं पाई जायेंगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा तथा बोलीदाता रद्द की गई डायरियों/दूरभाष निर्देशिकाओं को 15 दिवस में वापस लेगा तथा राजस्थान विधान सभा सचिवालय किसी भी प्रकार की हानि व नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा मुद्रक को अपने खर्चे पर इन्हें पुन: मुद्रित कर प्रदाय करना होगा।

(7) अनुमोदित बोलीदाता द्वारा किये गये कार्य में किसी प्रकार की हानि होने पर अनुमोदित बोलीदाता सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा निर्धारित राशि शास्ति के रूप में और जमा करायेगा। ऐसी शास्ति के जमा नहीं करवाने पर सचिव, राजस्थान विधान सभा को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से इस धनराशि को समायोजित करने का अधिकार होगा।

13. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बिड को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि सचिव, राजस्थान विधान सभा द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।
14. **<u>जीएसटी पंजीयन एवं शोधन प्रमाण-पत्र</u> :-** कोई भी फर्म जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित अधिनियम के अन्तर्गत् पंजीकृत नहीं है, तो वह बिड नहीं देगा। जीएसटी पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाये एवं बिड के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा वैट शोधन प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ संलग्न की जायें। प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ संलग्न नहीं करने पर बोली को निरस्त किया जा सकता है।
15. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित होगा। यदि कोई कॉलम नहीं भरा गया अथवा अस्पष्ट रूप से भरा गया अथवा पेंसिल से भरा गया तो बिड पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता बिड के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बिड की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
16. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जाएँगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धि करनी हो, तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
17. दरें F.O.R. तथा सभी करों एवं अनुषंगिक प्रभारों सहित उद्धृत की जायेंगी। दरें राजस्थान विधान सभा सचिवालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन रहते अलग-अलग प्रस्तुत करनी होंगी।
18. स्वीकृत दरें अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार आगे बढ़ाया भी जा सकेगा।
19. **<u>विधि मान्यता:-</u>** बोलियां, उनके खोले जाने के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के लिए विधि मान्य होंगी।

20. बोलीदाता के लिए यह समझा जाएगा कि कराये जाने वाले कार्य की सावधानीपूर्वक जाँच/जानकारी कर ली है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, कार्य प्रकृति/क्षेत्र आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व मुख्य अन्वेषण एवं सन्दर्भ अधिकारी, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर से जानकारी प्राप्त करेगा।
21. बोलीदाता/संवेदक अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को सब लेट नहीं करेगा।
22. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने का कार्य पूर्णतया राजस्थान विधान सभा सचिवालय के विनिर्दिष्टों के अनुरूप होगा। कार्य विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार है, इसका निर्णय क्रय समिति एवं सचिव, राजस्थान विधान सभा का होगा जो बोलीदाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने का कार्य यदि क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सचिव, राजस्थान विधान सभा किसी भी समय बोली को निराकृत कर सकते हैं। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेंगे।
24. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।
25. यदि किसी कारण से निविदत्त कार्य नहीं कराया जाता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
26. उप सचिव (प्रशासन), राजस्थान विधान सभा किसी भी बोली को, जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेंगे।
27. बोली की समस्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-2 में दिए गए प्रावधान/ शर्तें एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश आदि संवेदक पर कभी भी बाध्यकारी हो सकते हैं।
28. **<u>सत्यनिष्ठा संहिता</u>** <u>(Code of integrity)</u> :- उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोई भी फर्म/संस्था/व्यक्ति,
    (1) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करे,
    (2) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो,

(3) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा;

(4) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा,

(5) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा,

(6) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा;

(7) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा;

(8) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा;

(9) डायरी एवं निर्देशिका की सूचनाएँ किसी अन्य को उपलब्ध नहीं करायेगा।

29. **<u>हित का विरोध</u>** <u>(Conflict of interest) :-</u>

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियाँ सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं,

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है;

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो;

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है;

(च) बोली लगाने वाले या उससे सम्बद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी

अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और न ही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

30. **<u>बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता का भंग:-</u>** राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम के अध्याय **4** के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या, यथास्थिति, भावी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा **11** की उप-धारा **(3)** और धारा **46** के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

31. (1) उपापन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की शिकायत के लिए अपील राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया से की जा सकेगी।

(2) प्रथम अपील अधिकारी वरिष्ठ उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर तथा द्वितीय अपील अधिकारी सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर हैं।

32. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षकारों द्वारा मामले को सचिव, राजस्थान विधान सभा को भेजा जाएगा एवं उस विवाद के लिए सचिव, राजस्थान विधान सभा का निर्णय अन्तिम होगा। समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार सरकार या प्रदायक द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी। अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

33. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं तत्सम्बन्धी नियम, 2013 में वर्णित सभी शर्तें व प्रावधान लागू होंगे।

(गिरिराज बाँगड़)
उप सचिव (प्रशासन)

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

हस्ताक्षर बोलीदाता

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन कार्य/ सेवाओं के लिए बिड दी है, उनके मैं/हम पंजीकृत सेवा प्रदाता संस्था/इकाई हूँ/हैं तथा कार्य /सेवा आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत् हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए अथवा मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना, तथ्य, प्रमाण-पत्र या विवरण आदि अनुबंध अवधि के दौरान झूठी या अपूर्ण पाई जाये, तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रदद् कर दिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) व दूरभाष निर्देशिका मुद्रित कराने के कार्य की प्रस्तावित दर

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित मात्रा	प्रस्तावित दर सभी करों सहित (रुपये)		
			प्रति (कॉपी) दर	कुल राशि	प्रत्येक आठ (8) अतिरिक्त पृष्ठों के मुद्रण की दर
1	राजस्थान विधान सभा सचिवालय की वर्ष 2018 की वार्षिक दैनन्दिनी (डायरी) (साइज 7.25 इंच x 9.5 इंच) का मुद्रण कार्य	3500 प्रतियाँ			
2.	राजस्थान विधान सभा सचिवालय की दूरभाष निर्देशिका (साइज 3.5 इंच x 6.25 इंच) का मुद्रण कार्य	5000 प्रतियाँ			
				योग	.....

(अक्षरे रुपये .....)

बोलीदाता के हस्ताक्षर